संख्या-2413/सोलह-1-2009-13(163)/2009

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

Sh. R.K. Yadav
3/8

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक :01 अगस्त, 2009

विषय: स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत नई संस्था फैकल्टी आफ फार्मेसी, मालती मेमोरियल ट्रस्ट **'सी0एस0एम0 ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन्स, इलाहाबाद को सत्र 2009-10 से बी0फार्मा** पाठ्यक्रम को सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2009/11728 दिनांक ...7.09 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित संस्था को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिये जाने का अनुरोध किया गया है:-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता
1	2	3
फैकल्टी आफ फार्मेसी, मालती मेमोरियल ट्रस्ट सी0एस0एम0 ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन्स, इलाहाबाद	**बी0फार्म0**	**60**

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा-23(2) के अंतर्गत उक्त संस्था को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता के साथ संचालित करने हेतु दिनांक 01.07.09 से शैक्षिक सत्र 2009-10 की सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन शासन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

(1) प्रश्नगत संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित /नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता संबंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

....2

(3) संबंधित संस्था का यह दायित्व होगा कि दिनांक 30 सितम्बर, 2009 तक संस्था में नियुक्त शिक्षकों की सूची उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से अनुमोदित करा लेगा ।

(4) संस्था द्वारा 30 सितम्बर, 2009 तक अपनी वेबसाइट पर तथा शासन/उ0प्र0प्राविधिक विश्वविद्यालय को यह सूचना उपलब्ध करायी जाएगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(5) सत्र 2009-10 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में संबद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(6) प्रश्नगत संस्थाओं द्वारा प्रवेश में उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) संस्था नियमतः फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया से अवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगी। संस्था को माह अक्टूबर, 2009 तक उक्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

कृपया अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
अनु सचिव